निवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

292. घ. सदन में निवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया- सदस्य अत्यन्त लोक महत्व के किसी एक विषय पर निवेदन की सूचना सभा की बैठक प्रारंभ होने के एक घंटा के अन्दर सचिव को दे सकेंगे; परन्तु एक सदस्य एक दिन में एक से अधिक ऐसी सूचना नहीं दे सकेंगे। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन 10 पंक्तियों से अधिक का नहीं होगा। निवेदन की सूचना सत्र समाप्ति के दो दिन पूर्व ही दी जा सकेगी। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत निवेदनों पर सदन की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद निवेदन की प्रति संबंधित विभाग को भेज दी जायेगी, जिसका उत्तर 15 दिनों के अन्दर संबंधित सदस्यों को विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा और इसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

मान्य निवेदनों की सूचना अध्यक्ष प्रतिदिन सभा के कार्यक्रम के समापन के पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे। स्वीकृत निवेदन किसी भी स्थिति में वापस नहीं होंगे।

निवेदन समिति

292. घ. (1) समिति का गठन - बिहार विधान सभा की एक निवेदन समिति होगी, जिसका गठन अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। समिति में सभापति सहित अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति का कार्यकाल- समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा।

(3) समिति का कृत्य - (i) स्वीकृत निवेदनों की जाँच एवं प्रतिवेदन देना।

(ii) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(4) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबन्ध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।